रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH - 2 FEB 2012 B 469936

फोटो विक्रेता - श्रीमती शान्तीदेवी

रतनेश कुमार सिंह
एम.एससी., बीएड / एल.एल.बी.
एडवोकेट
तहसील कोर्ट, फिरोजाबाद

फोटो क्रेता - अजय कुमार अग्रवाल

रतनेश कुमार सिंह
एम.एस., एल.एल.बी.
एडवोकेट
तहसील कोर्ट, फिरोजाबाद

विक्रेता - श्रीमती शान्तीदेवी
क्रेता - गिरधारीलाल मनोहरलाल रीयलटच प्रा0 लि0
स्थित - मौजा मिल्कखान जहाँपुर
क्षेत्रफल - 1093.15 वर्गमीटर
दर - 1,500/-रूपया प्रति वर्गमीटर जो रेटलिस्ट के पृ.21 के क्र.01 पर अंकित है।
बिक्री - 14,70,000/-रूपया
सरकारी मालियत - 16,80,000/-रूपया
देय स्टाम्प - 1,17,600/-रूपया
फोटो प्रमाणितकर्ता - रतेनश कुमार सिंह एडवोकेट

विक्रय-पत्र प्लॉट

हम कि श्रीमती शान्तीदेवी गुप्ता पत्नी स्व0 श्री शान्तीस्वरूपजी गुप्ता निवासी मौहल्ला

श्रीमती शान्तीदेवी

अजयकुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 469937

- 2 FEB 2012

[2]

कुलामगंज थाना दक्षिण पोस्ट व तहसील व जिला फिरोजाबाद विक्रेता प्रथम पक्ष व गिरधारीलाल मनोहरलाल रीयलटच प्रा0लि0 साइट ऑफिस फिरोजाबाद द्वारा डायरेक्टर अजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश नरायन अग्रवाल निवासी 560 जलेसर रोड शहर व जिला फिरोजाबाद क्रेता द्वितीय पक्ष के हैं जो कि प्रथम पक्ष एक किता प्लॉट/भूखण्ड स्थित मौजा मिल्कखानजहाँपुर तहसील व जिला फिरोजाबाद अन्तर्गत गाटा सं0 102/2 रकवा 0.691 है0 जो कि पूर्व में गाटा सं0 102 था जिसका विधिवत आबादी डिक्लरेशन अर्न्तगत धारा 143 जैड0ए0एण्डएल0आर0एक्ट न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद के द्वारा हो चुका है की मालिक काबिज व दखील बजरिये पाँच किता बैनामा प्रथम बैनामा तहरीर दिनांक 11-08-1992 ई0 नविश्ता विनोद कुमार बंसल पुत्र श्री लाला रामकिशनजी अग्रवाल निवासी मौहल्ला दुर्गा नगर तहसील व जिला फिरोजाबाद जिसकी रजिस्ट्री बही नं0

ग्रा॰ चौ॰ दे॰ वि॰

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 469938

[3]

1 जिल्द 491 के पृष्ठ 361/386 में नम्बर 11099 पर उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद हुयी है व द्वितीय बैनामा तहरीर दिनांक 21-09-1993 ई0 नविश्ता विनोद कुमार बंसल पुत्र श्री लाला रामकिशनजी अग्रवाल निवासी मौहल्ला दुर्गा नगर तहसील व जिला फिरोजाबाद जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 775 के पृष्ठ 21/48 में नम्बर 9661 पर उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद हुयी है व तृतीय बैनामा तहरीर दिनांक 06-11-1993 ई0 नविश्ता विनोद कुमार बंसल पुत्र श्री लाला रामकिशनजी अग्रवाल निवासी मौहल्ला दुर्गा नगर तहसील व जिला फिरोजाबाद जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 803 के पृष्ठ 345/372 में नम्बर 11060 पर उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद हुयी है व चतुर्थ बैनामा तहरीर दिनांक 14-09-1993 ई0 नविश्ता विनोद कुमार बंसल पुत्र श्री लाला रामकिशनजी अग्रवाल निवासी मौहल्ला दुर्गा नगर तहसील व जिला फिरोजाबाद जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 76[illegible] के

भारत INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 FEB 2012

. B 469939.

[4]

पृष्ठ 205/234 में नम्बर 9421 पर उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद हुयी है व पंचम बैनामा तहरीर दिनांक 27-08-1993 ई0 नविश्ला विनोद कुमार बंसल पुत्र श्री लाला रामकिशनजी अग्रवाल निवासी मौहल्ला दुर्गा नगर तहसील व जिला फिरोजाबाद जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 756 के पृष्ठ 229/262 में नम्बर 8845 पर उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद हुयी है, के द्वारा हूँ कि जिसमें प्रथम पक्ष का कोई अन्य साझीदार व भागीदार किसी किस्म का नहीं है कि जो माने बै में बाधक हो प्रथम पक्ष को आराजी प्लॉट से कोई लाभ नहीं होता है तथा इस समय प्रथम पक्ष को अपनी घरेलू एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता है तथा द्वितीय पक्ष एक माकूल व मुनासिब कीमत देकर उक्त प्लॉट को अपने हक में क्रय करना चाहता हैं कि जिसको बेचने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है अतः विक्रय करना स्वीकार है। प्रथम पक्ष ने अपने भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 2836.43 वर्गमीटर है को

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 450264

बिक्री करने का सौदा इकरारनामा तहरीर दिनांक 02-08-2011 ई0 कि जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द सं0 8363 के पृष्ठ 1/14 में नम्बर 7149 पर दिनांक 03-08-2011 ई0 को उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद पर हुई है, द्वारा क्रेता द्वितीय पक्ष से 38,10,000/-रूपया में तय करके ब्याने में 3,00,000/-रूपया वक्त रजिस्ट्री इकरारनामा प्राप्त किये थे जिसमें बैनामा होना नियत था लिहाज़ा प्रथम पक्ष ने इकरारनामा दिनांक 03-08-2011 ई0 की शर्तों के अनुसार उपरोक्त इकराशुदा क्षेत्रफल 2836.43 वर्गमीटर में से 1093.15 वर्गमीटर के भूखण्ड को बकीमत मुवलिग चौदह लाख सत्तर हजार रूपया कि आधे जिसके सात लाख पैंतीस हजार रूपया होते हैं में बदस्त गिरधारीलाल मनोहरलाल रीयलटच प्रा0लि0 साइट ऑफिस फिरोजाबाद द्वारा डायरेक्टर अजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश नारायन अग्रवाल निवासी 560 जलेसर रोड शहर व जिला फिरोजाबाद क्रेता द्वितीय पक्ष को

ई॰ चं॰ दे॰ की

अजय कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 450265

6 FEB 2012

कतई बै कर दिया और बेच दिया और बिक्रीधन की सम्पूर्ण धनराशि में से 3,00,000/-रूपया ब्याने की धनराशि इकरारनामा दिनांक 03-08-2011 ई0 द्वारा क्रेता द्वितीय पक्ष से वसूल पायी जिसमें से 1,00,000/-रूपया बैनामा हाजा में मुजरा की व शेष धनराशि 13,70,000/-रूपया जरिये दो किता चैक प्रथम चैक नम्बर 634663 तादादी 6,50,000/-रूपया व द्वितीय चैक नम्बर 634664 तादादी 7,20,000/-रूपया उक्त दोंनों चैक दिनांक 07-02-2012 ई0 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मौहल्ला गंज फिरोजाबाद के हैं इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य 14,70,000/-रूपया क्रेता द्वितीय पक्ष से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना बिक्रीशुदा भूखण्ड पर क्रेता द्वितीय पक्ष को देकर क्रेता द्वितीय पक्ष को बिक्रीशुदा प्लॉट का मालिक काबिज व दखील बना दिया। अब बिक्रीधन में प्रथम पक्ष की कोई धनराशि द्वितीय पक्ष पर शेष नहीं

श्रीमती देवी

अजय कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 6 FEB 2012

रही है और बिक्रीशुदा प्लॉट से प्रथम पक्ष या उनके वारिसान का कोई हक ताल्लुक या सरोकार किसी किस्म का किसी तौर पर शेष नहीं रहा। आज से समस्त अधिकार मालिकाना आदि द्वितीय पक्ष को हासिल हो गये। द्वितीय पक्ष अधिकारी हैं कि वह बिक्रीशुदा प्लॉट से चाहे जैसा लाभ उठायें तथा बिक्रीशुदा प्लॉट की बावत समस्त सरकारी अभिलेखों से प्रथम पक्ष का नाम खारिज कराकर अपने नाम का इन्द्राज करा लें और प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को यकीन दिलाया है कि बिक्रीशुदा प्लॉट हर तरह से पाक व साफ है किसी भी सरकारी या गैरसरकारी बैंक या वित्तीय संस्थान में बंधक या मोरगेज आदि नहीं है जिसकी बावत द्वितीय पक्ष को गुडटाइटिल की गारन्टी दी जाती है दर सूरत खिलाफ ब्यानी या किसी की दावेदारी से बिक्रीशुदा प्लॉट का पूर्णतः या अंशतः भाग क्रेता द्वितीय पक्ष के कब्जे से निकल जावे या उसकी बावत किसी को कुछ देना या खर्च करना पड़े तो क्रेता द्वितीय पक्ष की अधिकार होगा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH - 6 FEB 2012

U 539713

[8]

कि वह अपना समस्त बिक्रीधन मय हर्जा व खर्चा मय सूद कानूनी के प्रथम पक्ष व उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति मौजूदा व आयंदा से बजरिये अदालत चाहे जिस तौर पर वसूल कर ले जिसमें प्रथम पक्ष या उनके वारिसान को कभी कुछ उज्र व ऐतराज हरगिज न होगा। विवरण बिक्रीशुदा प्लॉट स्थित मौजा मिल्कखानजहाँपुर तहसील व जिला फिरोजाबाद अन्तर्गत गाटा संख्या 102/2 कि जिसकी सीमा व पैमाइश निम्न प्रकार है सीमा पूरब में रास्ता पश्चिम में भूमि संदेश चन्द्र उत्तर में भूमि श्रीमती सावित्री देवी दक्षिण में प्लॉट अजय कुमार अग्रवाल व शेष आराजी विक्रेता पैमाइश पूरब 53 फीट 06 इंच पश्चिम 53 फीट उत्तर 218 फीट दक्षिण 112 फीट 06 इंच व 112 व 06 इंच (225 फीट) रैंच

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 539714

6 FEB 2012

[9]

लेते हुये जिसका कुल क्षेत्रफल 11762.29 वर्गफीट यानी 1093.15 वर्गमीटर है जिसकी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 01-08-2011 ई0 को जारी नवीनतम मूल्यांकन सूची के पृष्ठ 21 के क्रमांक 01 के अनुसार निर्धारित दर 1,500/-रूपया प्रति वर्गमीटर के हिसाब से मालियत 16,40,000/-रूपया होती है तथा विक्रयशुदा भूखण्ड की एक साइड में पुरानी ईंटों से बाउन्ड्री हो रही है जिसमें अधिकतम पच्चीस हजार पुरानी ईंटें लगी हुयी हैं जिसकी अधिकतम बाजारी कीमत 40,000/-रूपया होती है इस प्रकार बिक्रीशुदा प्लॉट की सम्पूर्ण मालियत 16,80,000/-रूपया होती है जिस पर नियमानुसार स्टाम्प इस प्रकार अदा किया गया है चूँकि क्रेता फर्म/पुरूष है इसलिये नवीन शासनादेश संस्थागत वित्त कर एवं अनुबन्ध अनुभाग-5 के पत्र संख्या 27[illegible]6 दिनांक 30 जून 2008 के

अनुसार सात प्रतिशत की दर से 1,17,600/-रूपया का स्टाम्प अदा किया गया है। विदित हो कि इकरारनामा दिनांक 03-08-2011 ई0 के द्वारा 76,200/-रूपया का स्टाम्प अदा किया गया था जिसका समायोजन उक्त भूखण्ड के अन्तिम बैनामा में किया जायेगा। यहकि बिक्रीशुदा प्लॉट रेटलिस्ट में प्रदर्शित किसी भी मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है जो राष्ट्रीय राजमार्ग नं0-2 से लगभग दो सौ मीटर की दूरी पर अन्दर गली में स्थित है। बिक्रीशुदा प्लॉट ग्राम सभा व पट्टे व नजूल या सरकारी आस्थान की भूमि नहीं है और बिक्रीशुदा प्लॉट किसी सरकारी या गैरसरकारी योजना के लिये अधिग्रहीत नहीं किया गया है। अतः यह विक्रय पत्र सोच व समझकर बहक द्वितीय पक्ष तहरीर कर दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे।

2 ॥ चौ दे पै

अज पुत्रा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 026927

[II]

तहरीर तारीख 07-02-2012 ई0 मसविदा दिया पक्षकारान के कथनानुसार रतनेश कुमार सिंह एडवोकेट तहसील सदर फिरोजाबाद।

फोटो व ह0 गवाह

1- विनोदकुमार वल्द ला0 श्री शान्तीस्वरूप वकील निवासी इस्लामगंज फिरोजाबाद

फोटो व ह0 गवाह

2. राजेशकुमार वकील वल्द श्री शान्तिस्वरूप वकील निवासी इस्लामगंज फिरोजाबाद